101

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1485—चार/2008 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 17.09.08 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 281, 282/अपील/1999—2000.

.....

1—रामगरीब हरिजन
2—रामकृपाल हरिजन
3—मोतीलाल पुत्रगण रामधनी
निवासीगण ग्राम टटिहरा तहसील
मऊगंज जिला रीवा म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1—जयरजुआ बेवा रामकुसम
2—गौरी शंकर
3—रामकैलाश
4—सरोज कुमार
5—शिव प्रसाद
6—शेषमणि पुत्रगण रामकुसम पटेल
7—जगदीश पुत्रगण भगवान दीन
8—विधाता 9—राधे 10—रामनिधि
11—जानकी पुत्रगण गंगाप्रसाद पटेल
12—रामबहोर पुत्रगण ग्याप्रसाद पटेल
निवासीगण ग्राम टटिहरा तहसील
मऊगंज जिला रीवा म0प्र0

—— अनावेदकगण

.....

श्री डी0 एस0 चौहान, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 26-06-18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश 17.09.08 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा विवादित आराजी भूमि खसरा कमांक 791 रकवा 0.02, एकड 794 रकवा 0.02 ए0 790 रकवा 0.01 1/2 ए0 796 रकवा 0.01 ए0 799 रकवा 0.01 ए0 खसरा के खाना नं0 12 में रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश नायब तहसीलदार वृत्त नई गढ़ी द्वारा आदेश दिनांक 12.1.99 को पारित किया गया जिससे दुखित होकर अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 17.12.99 को नायब तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखने हुये अपील निरस्त की इसी से दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा 17.9.08 को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण हरिजन समुदाय के होकर वस्ती खटिहरा तहसील मऊगंज जिला रीवा में स्थई रूप से निवास करते आ रहें हैं

अनावेदकगण पिछडा वर्ग पटेल जाति के लोग हैं जिनका बहुमत होने से अक्सर हम हरिजनों को परेशान करते हैं। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी अपने तर्क में कहा गया है कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर नायब तहसीलदार नई गढ़ी द्वरा राजस्व व निरीक्षक से मौके की जांच कराने पर प्रस्तुत प्रतिवेदन से पाया गया कि उक्त रास्ते से पूरी हरिजन वस्ती का निस्तार होता है तथा सुसाधिकार के आधार पर वे लोग लम्बे अरसे से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तहसीलदार न्यायालय द्वारा कानूनी प्रकिया का पालन करके उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर पूर्व से प्रचलित रास्ते का अवरोध हटवा कर खसरा खाना नम्बर 12 में दर्ज करने का आदेश दिनांक 12.1.99 को पारित किया गया था जिसका अमल राजस्व अभिलेख में किया जा चुका है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार की जावे।

4– अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि विवादित अराजी नं0 799, 796 में न तो कभी प्रस्तावित रास्ता थी और न ही आम रास्ता थी, आवेदकगण ने कूट रचना करके राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से मिलकर अनावेदकगण की स्वत्व अधिपत्य की आराजी में खसरा 1997–98 के खाना नं0 12 के कालम में रास्ता दर्ज कराने का आदेश धारा 115 के तहत किया गया जो जो त्रुटि पूर्ण था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सूचना एवं सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया था। हितबद्व पक्षकार को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित किया गया था वह स्थिर रखने योग्य नहीं था। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे। विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा अपने आदेश में यह लेख किया गया है कि विवादित आराजी के भूमिस्वामी अनावेदकगण है इस बिन्दु पर उभयपक्ष में कोई विवाद नहीं है। तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण को सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया मात्र राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की गई हे जबकि राजस्व निरीक्षक व पटवारी प्रतिवेदन में भिन्नता परिलक्षित थी। जबकि प्रतिवेदनों में एक समानता होना चाहिये। उनके द्वारा यह भी लेख किया गया है कि पटटे् की भूमि हो या स्वामित्व की जब तक भूमिस्वामी अपनी सहमति व्यक्त नहीं करता तब तक उसकी भूमि अधिग्रहण नहीं की जा सकती। पूर्व में रास्ता था या नहीं इस बावत कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है इससे स्पष्ट है कि संहिता की धारा 131 के विपरीत जाकर विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गंया है और उस आदेश को स्थिर रखने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है इसी से उनका आदेश अपर आयुक्त रीवा द्वारा निरस्त किया गया है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश विधि प्रकिया से उचित प्रतीत होता है। अतः उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 281, 282/अपील/1999–00 में पारित आदेश दिनांक 17.9.08 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर